



रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय
OFFICE OF CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS
उलान बटार मार्ग ,पालम ,दिल्ली छावनी-110010
ULAN BATAR MARG, PALAM, DELHI CANTT.-110010
 Ph.No. 011-25665500/24674870 Fax: 25674806 Email: hqan2.cgda@gov.in

विकसित भारत
अभियान
 1947 TO 2047

No. AN/II/2153/SAOs/AD(OL)/SPS/AVL 2025-26

Dated : 02.09.2025

सेवा में,

सभी र.ले.प्र.नि./प्र.ए.वि.स./र.ले.नि./ए.वि.स.

All PCsDA / PIFAs/CsDA/ /IFAs

(र.ले.म.नि. की वेबसाइट के माध्यम से)/(Through CGDA Website)

विषय: वार्षिक वॉलंटियर सूची(एवीएल): 2025-26 के लिए व.ले.अ./स.नि.(रा.भा.)/वरि.नि.स. में से इच्छुक (वॉलंटियर) व्यक्तियों के नाम मंगवाने के संबंध में।

Subject : Calling for Volunteer amongst SAOs/AD(OL)/SPS for Annual Volunteer List (AVL): 2025-26.

वर्ष 2025-26 के लिए व.ले.अ./स.नि.(रा.भा.)/वरि.नि.स. के संबंध में ए.वी.एल. की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। अतः अनुरोध है कि ए.वी.एल. 2025-26 में शामिल करने के लिए व.ले.अ./स.नि.(रा.भा.)/वरि.नि.स. में से इच्छुक व्यक्तियों के नाम अग्रेषित करें।

It has been decided to initiate the process of AVL in respect of SAOs/AD(OL)/SPS for the year 2025-26. It is therefore requested to forward the name of Volunteers amongst SAOs/AD(OL)/SPS for inclusion in AVL 2025-26.

2. कृपया ध्यान दें कि जो अधिकारी वर्तमान में अन्य स्थानों पर स्थानांतरणाधीन हैं या जिन्हें स्थानांतरण स्थगन प्राप्त हुआ है या जिन्होंने 01.01.2026 तक वर्तमान ड्यूटी स्टेशन पर न्यूनतम 02 वर्ष का प्रवास पूरा नहीं किया है, वे ए.वी.एल. 2025-26 में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। अतः अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों के नाम ए.वी.एल. 2025-26 में शामिल करने हेतु अग्रेषित/अनुशंसित न किए जाएँ।

It may be noted that the officers who are currently under transfer to other stations or granted deferment of transfer or have not completed minimum stay of 02 year in the present duty station as on 01.01.2026 are not eligible for inclusion in AVL 2025-26. Therefore, it is requested that name of such officers may not be forwarded/recommended for inclusion in the AVL 2025-26.

3. कृपया पात्र इच्छुक व्यक्तियों के नाम, र.ले.प्र.नि./र.ले.नि./प्र.ए.वि.स./ए.वि.स. द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रतिलिपि संलग्न) में विधिवत अनुशंसित करके, इस मुख्यालय कार्यालय को 17.10.2025 तक hqan2.cgda@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजें।

र.ले.प्र.नि./र.ले.नि./प्र.ए.वि.स./ए.वि.स. से अनुरोध है कि कृपया मामले की अनुशंसा न करने का संक्षिप्त कारण/आधार निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट रूप से उल्लिखित करें।

The name of eligible volunteers may please be forwarded to this HQrs office duly recommended by PCDA/CDA/PIFA/IFA in the prescribed format (copy enclosed) by 17.10.2025 through email at hqan2.cgda@gov.in. PCDA/CDA/PIFA/IFA are requested that brief reason/ground for not recommending the case may please be specifically mentioned in the prescribed format.

4. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल एवीएल में आवेदन करने से संबंधित अधिकारी को उसके द्वारा चुने गए स्टेशन पर अनिवार्य रूप से तैनात होने का अधिकार नहीं मिल जाता है या उन्हें प्रशासनिक आधार/आवश्यकता के आधार पर अन्य अपर्याप्त स्टेशन पर स्थानांतरण के लिए छूट नहीं मिल जाती है।

Further, it is clarified that merely applying in AVL does not entitle officers concerned to mandatorily be posted in his/her opted station or exempt them for transfer to other deficient station on administrative ground/exigency.

5. शून्य रिपोर्ट भी अपेक्षित है।

Nil report is also required.




(विनीत पराशर)

र.ले.व.सहा.म.नि.(प्रशा.)

Copy to :

सू.प्रौ. एवं प्र. विंग (स्थानीय) } पत्र को र.ले.म.नि. की बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्रशा.-IV अनुभाग (स्थानीय) : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु



(विनीत पराशर)

र.ले.व.सहा.म.नि.(प्रशा.)

Annexue-A

(Authority: HQrs office letter No. AN/II/2153/SAOs/AD(OL)/SPS/AVL 2025-26, dated 02.09.2025)

[illegible]